

42 बीघा भूमि के विवाद में आवासन मंडल की जीत

हाईकोर्ट ने बी2 बाईपास पर स्थित श्रीराम कॉलोनी को लेकर फैसला सुनाया

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बी 2 बाईपास पर स्थित श्रीराम कॉलोनी को लेकर विवादित करीब 42 बीघा जमीन से जुड़े मामले में जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध माना है। इसके साथ ही अदालत ने 31 जुलाई, 1981 का समझौता विक्रय भी अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने कहा कि तथाकथित समझौता विक्रय से स्वाभाविक हस्तान्तरित नहीं होता है। जस्टिस गणेश राम मोणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान आवासन मंडल की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर निजी व्यक्तियों की ओर से दायर तीन याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि घोषाघड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश अंतिम हो तो भी वह अवैध ही होता है। अदालत ने माना कि 12 फरवरी, 2002 को एकलपीठ से गलत

- अदालत ने जेडीए की ओर से 29 मई 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध माना है। साथ ही 31 जुलाई 1981 का तथाकथित समझौता विक्रय भी अवैध मानते हुए शून्य घोषित किया है।
- अदालत ने वर्ष 1986 की ऑडिट रिपोर्ट और 25 जुलाई 2019 की जांच समिति रिपोर्ट के आधार पर माना कि अधिग्रहण से पूर्व ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं थी और समिति ने मूल खातेदारों को भी हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं बनाया।
- हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि खातेदार सिविल कोर्ट में जमा मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवासन मंडल भी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।

तथ्यों से आदेश प्राप्त किया गया था, ऐसे में उसे रद्द किया जाता है। अदालत ने साल 1986 की ऑडिट रिपोर्ट और 25 जुलाई, 2019 की जांच समिति रिपोर्ट के आधार पर

माना कि अधिग्रहण से पूर्व ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं थी और समिति ने मूल खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खातेदार

सिविल कोर्ट में जमा मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवासन मंडल भी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। प्रकरण से जुड़े अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि साल 1981 में जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति ने खातेदारों से समझौता विक्रय के आधार पर भूमि खरीदने का दावा करते हुए श्रीराम कॉलोनी-बी योजना बनाई। वहीं साल 1990 में इस भूमि का अधिग्रहण कर आवासन मंडल को सौंपी गई। इस दौरान समिति ने जेडीए से नियमितकरण कराया।

इसके बाद पहले चरण का विवाद हाईकोर्ट आने पर अदालत ने साल 2002 में जेडीए को पट्टे जारी करने को कहा और मामला साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ। इस दौरान साल 2019 में आवासन मंडल ने नई याचिका दायर कर कहा कि साल 2002 का आदेश गलत तथ्यों पर आधारित था।

‘पोषण पखवाड़े में राजस्थान को पुनः मिले प्रथम स्थान’

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निदेशन में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा तथा पोषण माह के नियमित आयोजनों से 06 वर्ष तक के बच्चों के पोषण के प्रति जागृकता का वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन के पहले 6 साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान सही पोषण और देखभाल के लिए पूरे समुदाय की भागीदारी जरूरी है, सही पोषण से ही देश रोशन होगा। उन्होंने कहा कि पोषण पखवाड़ा में इस बार भी राजस्थान को प्रथम स्थान मिले इसके लिए आईसीडीएस को कड़ी मेहनत करनी होगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अष्टम राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के दूसरे दिन शुक्रवार को जयपुर के विद्याधर नगर सेक्टर-4 स्थित जेपी कॉलोनी, वार्ड 24 की आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित पोषण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उक्त विचार व्यक्त किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं वो 2047 तक पूर्ण युवा हो जायेंगे। यदि उन बच्चों को सही पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान किया जाए तो 2047 में जब वे युवा होकर देश का नेतृत्व करेंगे तो देश का भविष्य निश्चित ही सुरक्षित और मजबूत हाथों में होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने 42 महिला पीसीआर वैन को दिखाई हरी झंडी

अपराधों और घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए 24 घण्टे काम करेगी पीसीआर, अभय कमांड से जुड़ेंगी

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय से महिला सुरक्षा को समर्पित 42 पीसीआर वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा हैल्पलाइन 1090 को निरन्तर मजबूत बना रही है। शर्मा ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों एवं घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस को आवश्यक आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह महिला पीसीआर वैन 24 घण्टे महिलाओं को सहायता के लिए काम करेगी।

उल्लेखनीय है कि इन सभी वाहन टीम को अभय कमाण्ड सेंटर से जोड़ा जायेगा, जो कि पहले से संचालित डायल 112 को तर्ज पर कार्य करेगी। इसके लिए प्रत्येक वाहन में मोबाइल डाटा टर्मिनल (एमडीटी) स्थापित किया गया है। अभय कमाण्ड सेंटर से एमडीटी को मिले निर्देशों पर अपराध एवं घटना के विरुद्ध प्रभावी तथा त्वरित कार्यवाही संभव होगी। इन वाहनों में अन्य




मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय से महिला सुरक्षा को समर्पित 42 पीसीआर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

महत्वपूर्ण उपकरणों के तहत जीपीएस, फ्लिडिंग स्टैचर एवं एलईडी लाइट बार को भी उपलब्ध कराया गया है। महिला सुरक्षा हैल्पलाइन 1090 महिलाओं को आपातकालीन स्थिति जैसे उल्पीडन, शोषण और हिंसा के मामलों में सहायता प्रदान करती है। यह हैल्पलाइन महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सशक्त वातावरण उपलब्ध कराने में प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेद्रम, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित पुलिस प्रदाता अधिकारी मौजूद थे।

शैलबी हॉस्पिटल जयपुर में ए.आई. आधारित शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी

डॉ. दिलीप मेहता और उनकी टीम ने किया सफल उपचार

जयपुर (कासं)। राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए, शैलबी हॉस्पिटल में पहली बार एआई-आधारित कंप्यूटर असिस्टेड स्ट्रेमलेस शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न की गई। यह अत्याधुनिक सर्जरी राजस्थान में ऑर्थोपेडिक उपचार के क्षेत्र में एक नई दिशा और मानक स्थापित करेगी। यह जटिल एवं उन्नत सर्जरी प्रदेश के विख्यात जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन डॉ. दिलीप मेहता ने की। जात रहे कि डॉ. मेहता को घुटने और कूल्हे के जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी में महारत हासिल है और वे अपने अनुभव, आधुनिक तकनीक एवं सटीक उपचार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक हजारों मरीजों को सफलतापूर्वक सर्जरी से राहत दिलाई है और कई मामलों में मरीजों को जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. मेहता ने बताया कि, यह सर्जरी कलकत्ता की 47 वर्षीय महिला मरीज की हुई, जो लंबे समय से बाएं कंधे के आर्थराइटिस, तेज दर्द और सीमित मूवमेंट से परेशान थी। उनकी दैनिक गतिविधियां भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही थीं। इस उन्नत तकनीक की विशेषता यह है कि इसमें कंधे के जोड़ को बिना स्ट्रेम डाले बदला जाता है, जिससे मरीज की प्राकृतिक हड्डी संरचना सुरक्षित रहती है। एआई-आधारित कंप्यूटर असिस्टेड के कारण सर्जरी अत्यधिक सटीकता के साथ की जाती है, जिससे परिणाम और भी बेहतर होते हैं। इस आधुनिक सर्जरी से दर्द से तेजी से राहत मिलती है। साथ ही कंधे की मूवमेंट का शीघ्र पुनः आरंभ होती है। हड्डी की संरचना का संरक्षण होने के साथ-साथ कम रक्तछाव एवं कम सर्जिकल ट्रांमा की जरूरत पड़ती है। इससे मरीज को



जल्दी रिकवरी और अस्पताल में कम समय ठहरने का फायदा मिलता है। डॉ. दिलीप मेहता ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज में तेजी से सुधार देखा गया है और कंधे की मूवमेंट में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो इस तकनीक की सफलता को दर्शाता है। यह उपलब्धि न केवल शैलबी हॉस्पिटल बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। डॉ. दिलीप मेहता और उनकी टीम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रदेश में भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हाईकोर्ट ने आरोप पत्र रद्द करके 50 हजार का हर्जाना लगाया

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट अपर लोक अभियोजक पद पर रहते हुए आरोप पत्र पेश करने की तिथियों का गलत उल्लेख करने और प्रकरणों की वार्षिक सत्यापन सूची पेश नहीं करने जैसे मामलों की जांच 13 साल बाद शुरू करने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने ऐसे मामलों में गंभीर कार्रवाई करने को भी गलत माना है। वहीं अदालत ने 16 साल पहले रिटायर हुए सरकारी वकील को राहत देते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र सहित अन्य कार्रवाई को रद्द करते हुए राज्य सरकार पर पचास हजार रूपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस मुनुरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने यह आदेश बृज बल्लभ शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अनुशासनिक अधिकारी ने पहले 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी किया, फिर उसके रिटायर होने से ठीक पहले उसे गंभीर आरोप में बदल दिया। यह कार्रवाई बदले की भावना को दर्शाता है। इस कारण याचिकाकर्ता को अपने रिटायर परिणामों से वंचित होना पड़ा। याचिका में अधिवक्ता हर्षवर्धन नंदवाना ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साल 2008 में 16 सीसीए के तहत प्रारंभिक कार्रवाई आरंभ की गई।

निम्स यूनिवर्सिटी में विशेषज्ञों ने दिए “ भविष्य के मंत्र”

ग्लोबल इंडस्ट्री समिट 2026 के दूसरे दिन पैनल डिस्कशन हुआ

जयपुर। निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान में आयोजित तीन दिवसीय ग्लोबल इंडस्ट्री समिट 2026 का दूसरा दिन पूरी तरह से ज्ञान, अनुभव और विचारों के आदान-प्रदान का साक्षी बना।

पहले दिन के उद्घाटन सत्र में निम्स यूनिवर्सिटी के फाउंडर व चांसलर डॉ. बीएस तोमर, संतोष नायर एक्सक्यूटिव प्रेसिडेंट, संदीप त्रिपाठी रजिस्ट्रार समेत कई शिक्षाविद और विद्यार्थी मौजूद रहे थे। समिट के दूसरे दिन का फोकस विशेष रूप से पैनल डिस्कशन पर रहा, जिसमें देश-विदेश के दिग्गज उद्योग विशेषज्ञों और कॉर्पोरेट लीडर्स ने भाग लेते हुए छात्रों को इंडस्ट्री की वास्तविक जरूरतों और भविष्य को दिशा से अवगत कराया।

यूनिवर्सिटी के एजीक्यूटिव प्रेसिडेंट ग्लोबल संतोष नायर ने बताया कि दूसरे दिन आयोजित पैनल डिस्कशन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे, जिनमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, फाइनेंस, हेल्थकेयर, मैयूफेक्चरिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम और कॉर्पोरेट लीडरशिप जैसे सम्कालीन और महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते



हुए बताया कि तेजी से बदलती तकनीक और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में युवाओं को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स, इनोवेशन और एडैप्टेबिलिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। इस अवसर पर माइक्रोसांफ्ट, विरला सांफ्ट, नोकिया, इंटेल्, फिलकार्ट, बिलिंकट,सोनी इंडिया, सिंगापुर टेलीकॉम, ग्लोबल लॉजिक, हिताची, मारुति सुजुकी,आईबीएम, एक्सआइए, नेटवेस्ट सहित अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इन विशेषज्ञों ने छात्रों को न केवल इंडस्ट्री ट्रेड्स से अवगत कराया, बल्कि उन्हें करियर प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ के व्यावहारिक टिप्स भी दिए।

बैंक डेट पट्टों से ठगी करने वाले समिति अध्यक्ष सहित दो आरोपी गिरफ्तार

फकीरो की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति पर बिंदायका पुलिस का शिकंजा



जयपुर। राजधानी में भू माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिंदायका थाना पुलिस ने प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ‘फकीरों की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति’ के अध्यक्ष सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जीवाड़े के अहम सुराग जुटाए हैं। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में विशम्भर दयाल शर्मा (69) निवासी लालकोठी और अरुण शर्मा (43) निवासी लालकोठी शामिल हैं। दोनों मिलकर भोले-भाले लोगों को सस्ते प्लॉट खरीदा था, जिसके विधिवत दस्तावेज भी तैयार किए गए थे। बाद में जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मिलीभगत कर

उसी प्लॉट का फर्जी पट्टा पिछली तारीख (बैंकडेट) में किसी अन्य महिला के नाम जारी कर दिया। जांच में यह भी उजागर हुआ कि गिरोह एक ही प्लॉट के कई फर्जी दस्तावेज तैयार कर अलग-अलग लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले से ही जयपुर ग्रामीण के मोखमपुरा थाने में दर्ज एक अन्य फर्जी पट्टा मामले में गिरफ्तार होकर उप कारागृह सांभर में बंद थे। बिंदायका पुलिस ने प्रोडक्शन वॉरंट के जरिए उन्हें जमानत पर रिहा होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों के खिलाफ जयपुर के विभिन्न थानों के साथ-साथ जयपुर ग्रामीण के मोखमपुरा और मोजमाबाद थानों में भी घोषाघड़ी के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास कर रही है।

एक करोड़ रु. वसूली के आरोपी आरपीएस को जमानत

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी एफआईआर बनाकर एक करोड़ रूपए की वसूली से जुड़े मामले में आरोपी आरपीएस रितेश पटेल और सह आरोपी इरफान खान को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश दोनों आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी रितेश ट्रायल पूरी होने तक हर माह की 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देंगे। वहीं

थानाधिकारी हाजिरी दर्ज कर उसे उसी दिन अदालत में भेजेंगे। जमानत याचिकाओं में कहा गया कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वे करीब तीन माह से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश हो चुका है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील विजय सिंह और पीडित पक्ष के वकील विभूति भूषण शर्मा ने कहा कि आरोपी रितेश आरपीएस अधिकारी है और उसने एसओजी की फर्जी एफआईआर बनाकर एक करोड़ रूपए हड़पने की

कोशिश की। इसके अलावा उसके खिलाफ अन्य प्रकरण भी दर्ज हुए थे। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि रितेश पर आरोप है कि बजरी से जुड़े मामले में एपीओ रहने के दौरान एक फर्जी एफआईआर तैयार कर पीडित को डरा धमकाकर एक करोड़ रूपए मांगे थे। पीडित की शिकायत पर महेश नगर थाना पुलिस ने रात 31 दिसंबर को तब आरोपी को गिरफ्तार किया था।

फुले जयंती की पूर्व संध्या पर दीपदान



जयपुर। पृथिव्या की सबसे बड़ी जयपुर स्थित मुहाना मंडी में शुक्रवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की 199 जयंती की पूर्व संध्या पर दीपदान के साथ दो दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हुआ। मंडी में कार्यरत व्यापारी, आद्वितिपा, मजदूर, माशाखोर और किसानों ने मिल-जुलकर महात्मा फुले के योगदान को दीप प्रज्वलित करके याद किया। कार्यक्रमों में शनिवार को मंडी परिसर में ही भव्य जयंती समारोह मनाया जायेगा। इस मौके पर विशाल वाहन रैली भी निकाली जाएगी, जो कि सांगरने से प्रारंभ होगी और मुहाना मंडी टर्मिनल मार्केट में इसका समापन होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह हुआछूत, को लेकर 19वीं शताब्दी में जो सुधार किये थे, आज भी भारत में सभी सरकारें उसका अनुसरण कर रही हैं और भावी पीढ़ी उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में देख रही है। मंडी दीपदान कार्यक्रम में जयपुर फुल व सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष योगेश तंवर, रतन खडौलिया पूर्व चेयरमैन नगर निगम, इंटर सैनी (महामंत्री), सुनील गोपाल (संगठन मंत्री), धनश्याम शर्मा, जीतू, संजय तारानगर, राजनरत राजौरिया आदि ने भाग लिया।

प्रो. रीटा शर्मा बर्नी शिक्षा संकाय की डीन



जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने शिक्षा संकाय के डीन पद पर प्रोफेसर (डॉ.) रीटा शर्मा की नियुक्ति की है। वर्तमान में डॉ. शर्मा श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय केशव विद्यापीठ, जामडोली (जयपुर) की प्राचार्य हैं। लगभग तीन दशकों के अपने शैक्षणिक जीवन में डॉ. रीटा शर्मा ने शिक्षण, शोध और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई है। वर्ष 1997 से सतत सक्रिय रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारों को दिशा दी है। वे राजस्थान विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सिंडिकेट सदस्य हैं तथा पूर्व में सीनेट सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दे चुकी हैं। साथ ही, वे विश्वविद्यालय की अनुमोदित शोध-निदेशिका के रूप में शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर रही हैं।

महिला से दोस्ती कर दुष्कर्म

जयपुर। पुलिस कमिश्नरी जयपुर में महिला से दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वॉयरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी अश्लील वीडियो के आधार पर पति को छोड़ने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। एक साल तक ब्लैकमेलिंग से परेशान होने के बाद पीडिता ने चुप्पी तोड़ते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शातिर बदमाश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।